[2025:आरजे-जेपी:1414]

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 846/2024

श्रीमती वकीला पत्नी मौसम खान, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम आलमपुर, ग्राम पंचायत चीड़वा, पोस्ट नौगांवा, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर।

----उत्तरदाता

संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4159/2023

भगवत प्रसाद सैन पुत्र श्री शिवदयाल सैन, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी कृष्णा कुंज, जगतपुरा, गोनेर रोड, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर।

----उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2754/2023

करण सिंह चारण पुत्र श्री बल सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी 607, टी-4, अपना घर शालीमार एक्सटेंशन, अलवर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य,जरिये प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर।
4. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति मालाखेड़ा, जिला अलवर।

----उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4315/2023

ज़ाकिर हुसैन पुत्र श्री निम्मन खान, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरोली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य,जरिये प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर।
4. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति मालाखेड़ा, जिला अलवर।

----उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4848/2023

राकेश श्रीधर शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी 29, दुर्गा सदन, जयपलटन, गन हाउस के सामने, अलवर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर।

----उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 828/2024

जुबेर खान पुत्र अहमद खान, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम आलमपुर, ग्राम पंचायत चीड़वा, पोस्ट नौगांवा, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री अशोक यादव, एडवोकेट
उत्तरदाता (ओं) के लिए	:	श्री कपिल प्रकाश माथुर, एएजी साथ में श्री आशुतोष उदावत,एडवोकेट श्री केसर सिंह शेखावत, एजीसी साथ में श्री आदित्य शर्मा, एडवोकेट

माननीय श्रीमान जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

09/01/2025

1. इन याचिकाओं पर इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जाता है क्योंकि इनमें शामिल तथ्य और मुद्दे समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य *एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 846/2024* से लिए गए हैं।

2. यह याचिका दिनांक 01.01.2024 के वसूली आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत चीड़वा, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर के सरपंच पद पर कार्यरत थे। 50 हैंडपंपों की स्थापना में गबन की शिकायत पर, खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति रामगढ़ ने एक जाँच समिति गठित की, जिसने दिनांक 16.03.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर, एक अन्य जाँच समिति गठित की गई, जिसने दिनांक 30.10.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाया गया कि कुछ स्थानों पर हैंडपंप चालू स्थिति में नहीं थे, जबकि कुछ स्थानों पर हैंडपंप लगाए ही नहीं गए थे। जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर, विवादित माँग पत्र जारी किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मांग सृजित करने संबंधी आदेश पारित किए बिना ही जांच रिपोर्ट के आधार पर वसूली आदेश जारी कर दिया गया।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित कार्यवाही का बचाव करते हुए कहा कि जाँच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया था और प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर एक नई समिति गठित की गई, जिसने 30.10.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

6. यह निर्विवाद तथ्य है कि वसूली हेतु मांगी गई राशि जाँच रिपोर्ट की अनुशंसा पर है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग सृजित करने हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

7. इन याचिकाओं का इस निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है कि आक्षेपित आदेश को याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस माना जाए, जिसका उत्तर आज से चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए। तत्पश्चात, प्रतिवादीगण आदेश पारित करके विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(अवनीश झिंगन), जे

हिमांशू/49-54

रिपोर्ट करने योग्य:- हाँ या नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate